पत्रांक : 5354/आयु0क0उत्तराखण्ड/धारा–57 अनु0/वाणि0कर/2015–16/देहरादून।

कार्यालयः–आयुक्त कर उत्तराखण्ड।

(धारा–57, अनुभाग)

देहरादूनः दिनांकः 06 ~~जनवरी~~ फरवरी, 2016

प्रार्थना पत्र संख्या – 13/2011-12
द्वारा – **सर्वश्री सिंघल ट्रेडर्स, मेन मार्केट काशीपुर।**
उपस्थिति – **श्री करन सचदेव, अधिवक्ता फर्म।**
निर्णय का दिनांक – 06/02/2016

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा–57 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री सिंघल ट्रेडर्स, मेन मार्केट काशीपुर द्वारा उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा–57 के अन्तर्गत दिनांक 29.12.2011 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुये यह तथ्य रखा गया था कि आवेदनकर्ता उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 के अन्तर्गत टिन–05002446462 पर एक पंजीकृत फर्म है तथा उनके द्वारा एजेंसी गुड्स की विभिन्न वस्तुओं का व्यापार किया जाता है। आवेदनकर्ता द्वारा दिनांक 29.12.2011 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में "Nycil Prickly Heat Powder" पर करदेयता के विषय में निम्न प्रकार प्रश्न करते हुये उक्त की करदेयता के सम्बन्ध में जानकारी दिये जाने का अनुरोध किया गया था।

"What will be rate of tax under Uttarakhand Value Added Tax Act 2005 in respect of Sale or purchases of 'Nycil Prickly Heat Powder' (for use of an anti-bacterial and Anti-Fungal on skin in summer)"

उपरोक्त के सम्बन्ध में फर्म द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त तथ्यों एवं अभिलेखों तथा विभागीय मत का अवलोकन किये जाने के उपरान्त Nycil Prickly Heat Powder को ड्रग अथवा दवाइयों की श्रेणी में नहीं मानते हुये तथा उक्त के उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 के अन्तर्गत कर की दरों के सन्दर्भ में दी गयी किसी भी अनुसूची में सम्मिलित नहीं होने के कारण इसकी बिक्री के प्रत्येक बिन्दु पर अतिरिक्त कर सहित 13.5 प्रतिशत की दर से करदेयता होने सम्बन्धी आदेश धारा–57 के अन्तर्गत दिनांक 30.04.2012 को पारित किया गया था।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा–57 के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार पारित आदेश से क्षुब्ध होने के परिणाम स्वरूप व्यापारी द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय वाणिज्य कर अधिकरण में अपील दाखिल की गयी, जिस पर सुनवाई करते हुये माननीय वाणिज्य कर अधिकरण द्वारा धारा–57 के अन्तर्गत उक्त पारित आदेश को निरस्त करते हुये आयुक्त कर को निर्णय में दिये गये बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में पुनर्विचार करने तथा विशेषज्ञों की राय लेतु हुये पुनर्निर्धारण करने के निर्देश दिये गये।

इस सम्बन्ध में विशेषज्ञों की राय हेतु ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0/प्रव0) वाणिज्य कर, काशीपुर सम्भाग, काशीपुर को लिखा गया। उनके द्वारा इस सम्बन्ध में जिला आयुर्वेदिक अधिकारी रूद्रपुर को पत्र प्रेषित किया गया। जिला आयुर्वेदिक अधिकारी रूद्रपुर द्वारा ऋषिकुल राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, परिसर हरिद्वार से राय प्राप्त करने हेतु सुझाव दिया गया। इस सम्बन्ध में पूर्व में भी उक्त कॉलेज को राय देने हेतु लिखा जा चुका था तथा उनके द्वारा इस पर राय देने से मना कर दिया गया था। इस कारण इस वस्तु पर विशेषज्ञों की राय प्राप्त नहीं हो सकी। विशेषज्ञों की राय प्राप्त न होने पर भी व्यापारी के प्रार्थना पत्र पर पुनः सुनवाई की गईं।

माननीय वाणिज्य कर अधिकरण द्वारा मामले को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित करने के अनुक्रम में प्रार्थना पत्र की सुनवाई हेतु फर्म की ओर से श्री करन सचदेव, अधिवक्ता फर्म उपस्थित हुये एवं उनके द्वारा विभिन्न शब्दकोशों में Medicine and Nycil Powder की दी गयी परिभाषाओं को दाखिल करने सहित Nycil Prickly Heat Powder के विभिन्न प्रकार/रूपान्तर यथा Nycil Classic, Nycil lavender, Nycil Sandal wood, Nycil Gulabjal तथा Nycil Herbal के संयोजन (Composition) को स्पष्ट करते हुये उनके द्वारा

Composition के आधार पर विभिन्न न्यायालयों द्वारा Nycil Powder के मेडिसिन की श्रेणी से आच्छादित होने के सन्दर्भ में दिये गये न्याय निर्णयों को भी दाखिल किया गया है। इसके साथ ही Word, Phrases and Commodities से सम्बन्धित विवरण भी दाखिल किये गये, जिसमें विभिन्न न्यायालयों द्वारा Nycil Powder तथा Medicine के सन्दर्भ में दिये गये निर्णय एवं इस सन्दर्भ में दी गयी व्याख्या का भी उल्लेख किया गया है।

पुनः सुनवाई के समय व्यापारी द्वारा यह भी बताया गया कि दिनांक 20.01.2015 से अनुसूची II(ख) की प्रविष्टि संख्या 41 में संशोधन के उपरान्त उनके द्वारा इन वस्तुओं पर 13.5 प्रतिशत की दर से कर अदा किया जा रहा है किन्तु दिनांक 20.01.2015 से पूर्व की स्थिति स्पष्ट न होने के कारण उनके द्वारा करदेयता स्पष्ट करने सम्बन्धी अनुरोध किया गया है।

व्यापारी के प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया। माननीय वाणिज्य कर अधिकरण द्वारा विशेषज्ञों की राय हेतु जो निर्देश दिये गये थे उनके सम्बन्ध में कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं हो सका है, अतः विशेषज्ञों की राय के न होते हुये भी यह पाया गया कि वर्तमान में प्रविष्टि संख्या 41 में Medicated Talcum Powder को प्रविष्टि से बाहर कर दिया गया है। अतः व्यापारी द्वारा बिक्री की जा रही वस्तु प्रविष्टि संख्या 41 से आच्छादित न होने के कारण इस वस्तु पर 13.5 प्रतिशत की दर से करदेयता है। जहां तक दिनांक 20.01.2015 से पूर्व की प्रविष्टि के परिप्रेक्ष्य में कर देयता का प्रश्न है, चूंकि व्यापारी द्वारा इस सम्बन्ध में विवरणियां दाखिल की जा चुकी हैं एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वर्ष 2010–11 के लिये कर निर्धारण किया जा चुका है। इस सम्बन्ध में व्यापारी द्वारा प्रथम अपील भी दाखिल की गयी है। अतः इस सम्बन्ध में कोई भी टिप्पणी किया जाना धारा–57 के अन्तर्गत सम्भव नहीं है।

तद्नुसार आवेदन कर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जा रहा है।

इस निर्णय की प्रतिलिपि आवेदनकर्ता तथा सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु पृथक–पृथक भेजी जाए।

(दिलीप जावलकर)
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

पृ0प0सं0 /दिनांक : उक्त ।

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस, इंदिरानगर, देहरादून।
3– एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्यकर, देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/रूद्रपुर जोन।
4– समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0/प्रव0) वाणिज्य कर, देहरादून/ऋषिकेश/हरिद्वार/रूड़की/काशीपुर/बाजपुर/रूद्रपुर/खटीमा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक्त की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों/बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5– ज्वाइन्ट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर, देहरादून/हल्द्वानी।
6– श्री अनुराग मिश्रा डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर एवं web Information Officer को विभागीय Website पर Update करने हेतु।
7– नेशनल लॉ हाउस बी–2 मार्डन प्लाजा बिल्डिंग अम्बेड़कर रोड, गाजियाबाद।
8– नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाउस–15/5 राजनगर, गाजियाबाद।
9– लॉ पब्लिकेशन व्यापार कर भवन, कलैक्ट्रेट कम्पाउण्ड, राजनगर, गाजियाबाद।
10– कार्यालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड फाईल हेतु।
11– विधि अनुभाग की गार्ड फाईल हेतु।

आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड